

(10)

E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

इस प्रकार कुल धनराशि 11,70,000/- (ग्यारह लाख सत्तर हजार) रूपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किए।







18/9/22

रान
साहू
जयपुर मेरठ



Kuldeep LIMITED

Kuldeep
S/o Katar Guri

46/23 mohaupuri



विक्रय पत्र लिखित दिनांक :- 02.08.2022 ई0 मसविदा श्री विशाल वर्मा एडवोकेट मेरठ।

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 12887

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री रुचिका गुप्ता के द्वारा अरविन्द कुमार सिंघल, पुत्र श्री स्व० श्री रमेश चन्द सिंघल

निवासी: निवासी 187 किशनपुर बागपत रोड मेरठ

व्यवसाय: अन्ध

क्रेता: 1



श्री अमित गुप्ता, पुत्र श्री विजेश गुप्ता

निवासी: निवासी मकान नं० 432/ए नेहरू नगर गली नं० 7 गढ़ रोड मेरठ

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री कुलदीप, पुत्र श्री कटार गिरि

निवासी: निवासी मकान नं० 46/23 पुरानी मोहनपुरी आदर्श पब्लिक स्कूल के पास मेरठ

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री इमरान, पुत्र श्री शाहबुददीन

निवासी: निवासी 376 काजीपुर मेरठ

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हर्षवर्धन यादव

उप निबंधक : सदर तृतीय

मेरठ

03/08/2022

लोकेश कुमार

निबंधक लिपिक मेरठ

03/08/2022



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं

टिप्पणी:

प्रिंट करें

(9)

E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

पृष्ठ 217 / 240 तक क्रमांक 17818 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय तृतीय मेरठ पंजीकृत हुई।

यह कि यदि अब अथवा भविष्य में विक्रीत भूमि अथवा उसका अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा अथवा उक्त भूमि पर कोई ऋण या भार पाया जायेगा या बैनामा किसी न्यायालय से खंडित अथवा मन्सूख करार पाया जायेगा तो द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये अदा या शर्क करना पड़ जाये तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश व वाद व्यय आदि सहित मय लागत बैनामा जिस प्रकार उचित जाने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर ले जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। इस विक्रय विलेख का आलेख विक्रेता/क्रेता द्वारा दी गई जानकारी व प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है यदि अब या भविष्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि एवं वैधानिक बाधा होगी तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विक्रेता/क्रेता का होगा तथा फोटो का सत्यापन मात्र विक्रेता/क्रेता को प्रत्यक्ष रूप से देखकर किया गया है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे। इति।।

विवरण प्राप्त धनराशि

1. अंकन 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रुपये बजरिये चैक सं0 019017 दिनांक 20.05.2022 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा गढ़ रोड मेरठ के द्वारा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किए।
2. अंकन 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये बजरिये चैक सं0 000020 दिनांक 28.07.2022 बंधन बैंक मेरठ के द्वारा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किए।
3. अंकन 20,000/- (बीस हजार) रुपये दिनांक 02.08.2022 को नकद प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से प्राप्त किए।





अर्ज सं. : 202200734052307

विक्रय पत्र

वर्ष : 2022

रजिस्ट्रेशन सं. : 12887
दही सं. :
एरिक्सन : 1170000 स्टाम्प शुल्क - 90300 बाजारी मूल्य - 1290000 पंजीकरण शुल्क - 12900 प्रतिनिधिकरण शुल्क

सं. क्रमांक : 12980



श्री. सविन गुप्ता द्वारा
अश्विनी कुमार सिंघान मुल्तार आभा
पुर श्री स्व. श्री रामेश चन्द्र सिंघान
दस्तावेज : अन्य
निवासी : निवासी 187 किशनपुरा बाणपत रोड मेरठ

श्री. सविन गुप्ता द्वारा
अश्विनी कुमार
सिंघान मुल्तार
आभा

ने यह लेखपत्र ई-संकेतनालय में
दिनांक 03/08/2022 एवं
03:51:39 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हर्षवर्धन यादव.

उप निबंधक : सदर तृतीय

मेरठ

03/08/2022

लोकेश कुमार.

निबंधक लिपिक

03/08/2022

प्रिंट करें

(8)

E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

6. यह कि द्वितीय पक्ष अपने भवन निर्माण के समय किसी ऐसे रैम्प का निर्माण नहीं करेगा जिसके कारण से उसके सामने के रास्ते की प्रभावी चौड़ाई कम होती हो तथा द्वितीय पक्ष अपने प्लॉट के समक्ष किसी भी प्रकार का कोई घेराव, जाल, जाली आदि लगाकर सड़क की प्रभावी चौड़ाई को कम नहीं करेगा तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे अन्य प्लॉट/मकान धारकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो।
7. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रीत प्लॉट को आवासीय उपयोग में ही ले सकते हैं अन्य लोगों की भूमि में रास्ता नहीं खोल सकते हैं और न अन्य भूमि वालों को रास्ता दे सकती है।
8. यह कि भविष्य में प्रथम पक्ष उक्त कॉलोनी का विस्तार करते हैं तो द्वितीय पक्ष रूकावट उत्पन्न नहीं करेंगे और न ही किसी कार्य में बाधा डालेंगे।
9. यह कि उक्त कॉलोनी जिसमें उक्त प्लॉट स्थित है में सभी भूमि स्वामी कॉमन सुविधा के लिए जो शुल्क होगा उसको अदा करने के पाबन्द रहेंगे व बिजली व पानी का कनेक्शन द्वितीय पक्ष अपनी खर्च पर स्वयं लगायेंगे।
10. यह कि प्रथम पक्ष विक्रेत्री के व्यवहारी ने उक्त भूमि को अन्य भूमि सहित विक्रय पत्र द्वारा मैसर्स कुलदीप सिंह संस प्रा०लि० आदि से क्रय किया है जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 27.12.2021 को वही नं०-1 जिल्द नं० 15441 के



(7)

E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

कार्यान्वित हुआ यह विक्रय विलेख पूर्णतया उचित एवं वैधानिक है तथा प्रयोग होने योग्य है अतः यह विक्रय विलेख निम्न तथ्यों का साक्षी होता है—

1. यह कि कब्जा स्थल पर विक्रीत भूखण्ड का प्रथम पक्ष के व्यवहारी ने द्वितीय पक्ष को प्रदान कर दिया है तथा द्वितीय पक्ष घोषणा करता है कि उसने कब्जा स्थल पर प्राप्त कर लिया है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त प्लॉट में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे प्रदूषण पैदा हो या गन्दगी पैदा हो।
3. यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त प्लॉट के अतिरिक्त अन्य कोई विषय वस्तु विक्रय नहीं की गयी है तथा उपरोक्त प्लॉट के अतिरिक्त अन्य किसी सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष को कोई अधिकार स्वामित्व या अधिपत्य नहीं होगा।
4. यह कि उपरोक्त कालोनी में जो कॉमन सुविधा छोड़ी गयी हैं उनसे सम्बन्धित प्रयोग का अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगा लेकिन वह विक्रेता की शर्तों एवं प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा तथा किसी भी खुले स्थान पर क्रेता कोई अतिक्रमण नहीं करेगा वरना प्रथम को उसे हटा देने और हटाने का खर्चा भी द्वितीय पक्ष से वसूल करने का अधिकार प्राप्त होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष रास्ते को छोड़कर अन्य किसी ओर कोई दरवाजा, खिड़की, नाली, रोशनदान या रास्ता नहीं खोलेगा उसे उसके लिये द्वितीय पक्ष बाध्य है।

Handwritten signature and two fingerprints.


(6)

E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

कालोनी राजस्व ग्राम मलियाना परगना व तहसील व जिला मेरठ के प्रथम पक्ष विक्रेत्री के व्यवहारी वास्तविक स्वामी व पूर्णतः विक्रयाधिकारी है उक्त भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त हैं कोई वैधानिक दोष प्रथम पक्ष विक्रेत्री के विक्रयाधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष विक्रेत्री के व्यवहारी ने उक्त प्लॉट को अपने समस्त अधिकार स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि सहित अपनी स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 11,70,000/- (ग्यारह लाख सत्तर हजार) रूपये कि जिसके आधे अंकन 5,85,000/- (पाँच लाख पिच्चासी हजार) रूपये होते हैं विक्रय मूल्य के उपलक्ष में हस्ते श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता निवासी मकान नं० 432/ए नेहरू नगर गली नं० 7 गढ़ रोड मेरठ द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया और बेच डाला और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त कर लिये है अब कोई धन शेष नहीं रहा है प्रथम पक्ष ने विक्रय भूमि को अपने अधिकार स्वामित्व तथा वास्तविक अधिपत्य आदि से निकालकर मौके पर खाली द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा वास्तविक अधिपत्य आदि में देकर उनको अपनी भाँति वास्तविक स्वामी व पूर्णतया अधिकारी बना दिया है। अब प्रथम पक्ष के व्यवहारी का कोई भी सम्बन्ध विक्रीत प्लॉट से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा है और न होगा वास्तविक परिवर्तन









Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp Certificate should be verified.
2. The authenticity of the details on the Certificate and as available on the website of the competent authority should be verified.
3. Any discrepancy in the details on the Certificate or as available on the website of the competent authority should be reported to the competent authority.
4. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
5. In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.



(5)

E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

6. विक्रय विलेख में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का अनुपालन सत्यता पूर्वक किया गया है।
7. इस विक्रय पत्र में अधिसूचना आदेश संख्या वि०क०नि०-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दि० 30-06-08 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।


श्री अरविन्द कुमार सिंघल पुत्र स्व० श्री रमेश चन्द सिंघल निवासी 187, किशनपुरा, बागपत रोड मेरठ बहैसियत मुख्तारआम ओर से श्रीमती रुचिका गुप्ता पत्नी श्री अरविन्द कुमार सिंघल निवासी 187 किशनपुरा बागपत रोड मेरठ मुख्तारनामा दिनांक 29.12.2014ई० को बही नं० 4 जिल्द सं० 297 के पृष्ठ सं० 201/210 पर क्रमांक 500 सब रजिस्ट्रार कार्यालय तृतीय मेरठ पंजीकृत हुई जिसे अभी तक कौन्सिल नहीं किया गया है (PAN NO. AONPG9502J).....प्रथम पक्ष/(विक्रेत्री)।

व

श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता निवासी मकान नं० 432/ए नेहरू नगर गली नं० 7 गढ़ रोड मेरठ (PAN NO. ALNPG5104D)द्वितीय पक्ष/(क्रेता)। जो कि प्लॉट नं० ए-22 क्षेत्रफल 199.83 वर्ग गज यानि 167.08 वर्ग मीटर मध्ये खसरा नं० 566 व 570 व 571 व 595 व 596 व 597मि० स्थित श्री बांके बिहारी कुंज









देश UTTAR PRADESH

B 936656

(4)

E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

कॉर्नर पर स्थित होने के कारण निर्धारित सर्किल रेट का 10 प्रतिशत बढ़ाकर यानि अंकन 7,700/- रुपये प्रति वर्ग मीटर के अनुसार विधिवत स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

3. विक्रय पत्र में स्टाम्प शुल्क ई-स्टाम्प E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U के द्वारा अंकन 300/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है व अंकन 90,000/- रुपये का जनरल स्टाम्प इस प्रकार कुल स्टाम्प शुल्क अंकन 90,300/- रुपये का अदा किया जा रहा है।
4. विक्रीत प्लॉट मेन रोड से लगभग 500 मीटर अन्दर स्थित है।
5. विक्रय पत्र में स्टाम्प शुल्क व अन्य शुल्क प्रथम पक्ष द्वारा अदा किया जा रहा है।





देश UTTAR PRADESH

B 936658

(3)

E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

सब रजिस्ट्रार मेरठ (तृतीय)


विक्रीत सम्पत्ति नगरीय क्षेत्र मेरठ में स्थित है।

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| विक्रय मूल्य | : | अंकन 11,70,000 /- रुपये |
| मालियत बाजारी | : | अंकन 12,90,000 /- रुपये |
| स्टाम्प शुल्क व आवास शुल्क | : | अंकन 90,300 /- रुपये |
- जो कि प्लॉट नं० ए-22 क्षेत्रफल 199.83 वर्ग गज यानि 167.08 वर्ग मीटर मध्ये खसरा नं० 566 व 570 व 571 व 595 व 596 व 597मि० स्थित श्री बांके बिहारी कुंज कालोनी राजस्व ग्राम मलियाना परगना व तहसील व जिला मेरठ।
 - विक्रीत सम्पत्ति का सर्किल रेट जिलाधिकारी महोदय द्वारा मूल्यांकन सूची मे क्रमांक सं० 11 व वी-कोड सं० 1012 के अनुसार 6,600 /- रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है, किन्तु उक्त प्लॉट पर 7,000 /- रुपये प्रति वर्गमीटर के अनुसार विधिवत स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है परन्तु उक्त प्लॉट



सं. 14. बन्काना 2022/1
नाम श्री अमित कुमार शर्मा विजय कुमार शर्मा R/o 432/1
23 JUL 2022
मे शामिल कर देया है।
रोकडिया
कोषानगर, मेरठ

ATTESTED



VERMA, ADVOCATE
Regd. No.
U.P.
A08010/08
MEERUT

ATTESTED



VERMA, ADVOCATE
Regd. No.
U.P.
A08010/08
MEERUT





प्रदेश UTTAR PRADESH

G 348908


(2)

E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

7. सम्पत्ति का प्रकार प्लाट/फ्लैट/ : प्लाट
मकान/दुकान कृषि
8. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल(बहुमंजिला : नहीं
भवन की स्थिति में)
9. सहकारी आवास समिति के सदस्य : नहीं
से सम्बन्धित है
10. प्रतिफल की धनराशि : अंकन 11,70,000/-रुपये
11. बाजारी मूल्य : अंकन 12,90,000/-रुपये
12. स्टाम्प शुल्क : अंकन 90,300/- रुपये

माप व सीमार्ये विक्रीत प्लाट

- पूरब : 33 फिट 6.5 इंच तत्पश्चात प्लाट नं० ए-21
पश्चिम : 36 फिट 5.5 इंच तत्पश्चात रास्ता 24 फिट चौड़ा
उत्तर : 51 फिट 3 इंच तत्पश्चात रास्ता 29 फिट चौड़ा
दक्षिण : 51 फिट 4 इंच तत्पश्चात प्लाट नं० ए-23



रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

23 JUL 2022
Rs.
25000

TENTY FIVE THOUSAND RUPEES

प्रदेश UTTAR PRADESH

G 348909



E-STAMP CERTIFICATE NO. IN-UP58782102608909U

विक्रय पत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|
| 1. | भूमि का प्रकार | : | प्लाट |
| 2. | वार्ड परगना | : | मेरठ |
| 3. | मौहल्ला / ग्राम | : | श्री बांके बिहारी कुंज कालोनी
राजस्व ग्राम मलियाना,
परगना तहसील व जिला मेरठ |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) | : | प्लाट नं० ए-22
मध्ये खसरा नं० 566 व 570
व 571 व 595 व 596 व 597मि० |
| 5. | मापन की इकाई
(हेक्टेयर / वर्गमीटर) | : | वर्ग मीटर |
| 6. | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : | 167.08 वर्ग मीटर |



